FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

राष्ट्रीय लोक अदालत 04/06/2015

रामधन पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम आदलवाडाकलां तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,चौथ का बरवाडा

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि.1956 अपील संख्या 345/14

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
/15	पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट रामधन पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम आदलवाडाकलां तहसील चौथ का बरवाडा उपस्थित हुए। अपीलाण्ट अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का नोटिस नही दिया है न ही प्रोपर तामील हुयी है। अपीलार्थी को बिना सुने व मोके स्थिति का निरीक्षण किये बगैर व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने ग्राम आदलवाडाकलां के आराजी खसरा नम्बर 1580 रकबा 0.40 हेक्टर गै0मु0बन्धा भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य मे भी अतिक्रमण नही करूंगा तथा अपीलाण्ट द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण चाहा है। नायब तहसीलदार,चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 1756/09 निर्णय दिनांक 25/02/10 की अपील आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट ने भौतिक रूप से कब्जा हटाने को कहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार,चौथ का बरवाडा मे शपथ पत्र पेश करने बाबत निवेदन किया है। अतः इस संबंध मे अपीलाण्ट नायब तहसीलदार,चौथ का बरवाडा के समक्ष अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र पेश करें तथा नायब तहसीलदार मोके पर अतिक्रमण की अवस्थिति के संबंध मे भौतिक रूप से जॉच करावें। यदि अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है तथा यदि अतिक्रमण नही हटाया हो तो सिविल कारावास की सजा का दण्ड यथावत समझा जावें। अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली व शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 04/06/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (बलदेव सिंह हाडा) अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर